

**कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा जिला कांगडा (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण
एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
भाग—एक**

1 प्रारम्भिक :—

(क) कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के लेखों का अंकेक्षण तथा निरीक्षण हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन विधेयक, 2005 की धारा 48.2 के अनुसार इस विभाग द्वारा निवासी लेखा परीक्षा योजना के अन्तर्गत किया गया। उपरोक्त अवधि के दौरान श्री एन.के. धीमान मण्डी समिति के सचिव के पद पर कार्यरत रहे।

(ख) आय व व्यय के मुख्य साधन :—

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा के आय के मुख्य साधन मण्डी शुल्क, दुकानों का किराया, जमा राशियों पर अर्जित ब्याज व व्यापारियों से विभिन्न प्रकार की अन्य वसूलियां इत्यादि है तथा मण्डी समिति द्वारा मुख्यतः संस्थापना (Establishment) निर्माण कार्य, गाड़ियों के रख-रखाव, लेखन सामग्री के मुद्रण, मानदेय तथा Legal Charges इत्यादि मदों पर व्यय किया गया है।

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

क्र०सं०	पैरा सं	विवरण	राशि
1	5 (i)	बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर कम ब्याज क्रेडिट दिया जाना	129792
2	6	दुकानों के लम्बित किराये की वसूली न करने बारे	984842
3	7	मार्केट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की वसूली न करना	394400
4	8	चैक पोस्ट पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की कम राशि वसूलने बारे	93857
5	17	अंकेक्षण द्वारा अधियाचनाओं के माध्यम से विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क की राशि की वसूली करना	245742

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा हिमाचल प्रदेश के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में लम्बित पैरों का विवरण परिशिष्ट "क" पर दिया गया है ।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा के अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण निवासी अंकेक्षण योजना कृषि उपज मण्डी समिति कांगडा में किया गया। उक्त अवधि के दौरान निवासी अंकेक्षण योजना के प्रभारी के रूप में श्री मुकेश कुमार स्नेही, अनुभाग अधिकारी कार्यरत रहे।

The audit report has been prepared on the basis of the informations furnished and record made available by the Controlling Officer of the institution. The Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation or non submission of information on the part of auditee.

3 अंकेक्षण शुल्क :-

निवासी अंकेक्षण योजना, कृषि उपज समिति कांगडा का वर्ष 2012-13 का अंकेक्षण शुल्क ₹556310/- बनता है।

4 वित्तीय स्थिति :-

(i) मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज मण्डी समिति की वर्ष 2012-13 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

आरम्भिक शेष	79853579.44
आय	42928225.00
जोड़	122781804.44
व्यय	25767277.00
अन्तिम शेष	97014527.44

(ii) उक्त वर्णित अन्तिम शेष का विवरण रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

(परिशिष्ट "क")

क्रमांक	विवरण	राशि
1	के.सी.सी.कांगडा खाता न.2001096	16513.90
2	के.सी.सी.पालमपुर खाता न.388	31165.00
3	एच.जी.बी.देहरा खाता न.87860101830451	880513.00
4	यू.बी.बाई.कांगडा खाता न.391902010005999	4526667.87
5	एच.जी.बी.बरण्डा खाता न.0134055	698088.00
6	के.सी.सी.डमटाल 092DP037003091	91526.67
7	सेन्ट्रल बैंक इण्डिया कांगडा 1787001206	12724.00
8	यूको बैंक कांगडा 10230110013588	38194.00
9	पंजाब नैशनल बैंक पालमपुर 2934000103061146	5940530.00
10	पंजाब नैशनल बैंक डमटाल 39194	1000875.00
11	हस्तगत राशि	1079843.00
12	सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि	82697887.00
	कुल योग	97014527.44

(iii) बैंक पास बुक के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्न है :-

क्रमांक	विवरण	राशि
1	के.सी.सी.कांगडा खाता न.2001096	16513.90
2	के.सी.सी.पालमपुर खाता न.388	31165.00
3	एच.जी.बी.देहरा खाता न.87860101830451	880513.00
4	यू.बी.बाई.कांगडा खाता न.391902010005999	4447040.87
5	एच.जी.बी.बरण्डा खाता न.0134055	646937.00
6	के.सी.सी.डमटाल 092DP037003091	91526.67
7	सेन्ट्रल बैंक इण्डिया कांगडा 1787001206	12701.00
8	यूको बैंक कांगडा 10230110013588	38194.00

9	पंजाब नैशनल बैंक पालमपुर 2934000103061146	5929448.00
10	पंजाब नैशनल बैंक डमटाल 39194	1000875.00
11	सावधिक जमा के अन्तर्गत निवेशित राशि	82697887.00
	योग	95792801.44

बैंक समाधान विवरणिका

रोकड वही अनुसार अन्तिम शेष	97014527.44
----------------------------	--------------------

माईनस:-

(i)	चैक जो बैंक में जमा करवाए गए लेकिन सम्बन्धित बैंक खातों में 31.3.13 तक क्रेडिट नहीं हुए। (परिशिष्ट-ख सलग्न)	141860.00
(ii)	सेन्ट्रल बैंक इण्डिया कांगडा द्वारा माह 3/2013 में गलत डेबिट की गई राशि	23.00
(iii)	हस्तगत राशि	1079843.00
	बैंक पास बुक अनुसार अन्तिम शेष	95792801.44

5 निवेश :-

(i) कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा उपलब्ध करवाये गये विवरण के अनुसार दिनांक 31.3.2013 तक सावधि जमा योजना में ₹82697887/- निवेशित हैं जिसका विवरण परिशिष्ट "ग" पर भी दिया गया है।

(ii) बैंक द्वारा सावधि जमा योजना पर ₹129792/- का कम ब्याज क्रेडिट करना:-

सावधि जमा योजना से सम्बन्धित अभिलेख की जांच में यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में बैंको द्वारा सावधि जमा की राशियों पर ₹129792/- का कम ब्याज क्रेडिट दिया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Date	FDR No/Bank	Amount	rate	period	Required interest	Interest received	Less interest
4.1.11	883591/UBI Kangra	2600109	8.60%	700days	460851	448107	12744

4.1.11	154011/HGB	1038982	8.75%	18month	144045	116429	27616
	Dehra						
6.1.11	34099/PNB	4842000	8.25%	18month	642090	616494	25596
	Kangra						
4.1.11	883592/UBI	1748531	8.60%	700days	309915	301345	8570
	Kangra						
3.12.10	373638/SBP	5062253	8.75%	555days	712888	700653	12235
	Kangra						
1.2.12	2422/PNB	3800000	9.25%	1year	363882	348807	15075
	Palampur						
21.1.11	358728/UCO	1500000	9.50%	1year	147657	144642	3015
	Kangra						
31.1.12	180200/HGB	900000	9.25%	1year	86183	68441	17742
	Dehra						
16.12.10	956245/SBP	2557979	8.75%	555days	359527	352328	7199
	Kangra						
Total						₹129792	

अतः देय ब्याज से कम क्रेडिट दिये गए ब्याज की सम्बन्धित बैंको से बसूली हेतु समुचित पग उठाये जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹984842/- की वसूली न करने बारे:-

किराये की मांग एवम् संग्रह (Demand and Collection Register) रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित दुकानदारों से किराये के रूप में 31.3.2011 को ₹984842/- वसूली हेतु लम्बित है जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा किराए की उगाही हेतु गम्भीर नहीं है क्योंकि वसूली योग्य यह राशि वर्षानुवर्ष बढ़ती जा रही है। अतः निम्न लम्बित राशियों की वसूली हेतु तुरन्त यथोचित पग उठाये जाए ताकि समिति की आय की उगाही में कोताही न हो तथा वसूली न होने के कारण ब्याज के रूप में होने वाली हानि से भी बचा जा सके। अनियमितता का यह प्रकरण प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल

प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला-2 के विशेष ध्यानार्थ भी आवश्यक एवं उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

क्र०स०	व्यापारी का नाम	मासिक किराया	अवधि	राशि
1	मै० लक्ष्मी शिवा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 1 जयसिंहपुर —यथोपरि— —यथोपरि—	1193 1312 1443	7/05 से 6/08 36 मास 7/08 से 6/11 36 मास 7/11 से 11/11 5 मास	42948 47232 7215
2	मै० शर्मा फ्रूट कम्पनी दुकान न० 2 जयसिंहपुर —यथोपरि— —यथोपरि—	1193 1312 1443	10/04 से 9/07 36 मास 10/07 से 9/10 36 मास 10/10 से 11/11 14 मास	42948 47232 20202
3	मै० तमन्ना फ्रूट कम्पनी दुकान न० 3 जयसिंहपुर —यथोपरि— —यथोपरि—	1193 1312 1443	9/04 से 8/07 36 मास 9/07 से 8/10 36 मास 9/10 से 11/11 15 मास	42948 47232 21645
4	मै० सोनू फ्रूट कम्पनी दुकान न० 4 जयसिंहपुर —यथोपरि— —यथोपरि—	1193 1312 1443	6/05 से 5/08 36 मास 6/08 से 5/11 36 मास 6/11 से 11/11 6 मास	42948 47232 8658
5	मै० ठाकुर फ्रूट कम्पनी दुकान न० 5 जयसिंहपुर —यथोपरि— —यथोपरि—	1193 1312 1443	6/05 से 5/08 36 मास 6/08 से 5/11 36 मास 6/11 से 11/11 6 मास	42948 47232 8658

6	मै0 जानू फूट कम्पनी दुकान न0 6 जयसिंहपुर	1193	8/05 से 7/08 36 मास	42948
	—यथोपरि—	1312	8/08 से 7/11 36 मास	47232
	—यथोपरि—	1443	8/11 से 11/11 4 मास	5772
7	श्री अरविन्द जग्गी कैटीन जयसिंहपुर	500	9/04 से 8/07 36 मास	18000
	—यथोपरि—	550	9/07 से 8/10 36 मास	19800
	—यथोपरि—	605	9/10 से 11/11 15 मास	9075
8	मै0 बादशाह फूट कम्पनी बूथ न0 2 जयसिंहपुर	700	9/04 से 8/07 36 मास	25200
	—यथोपरि—	770	9/07 से 8/10 36 मास	27720
	—यथोपरि—	847	9/10 से 11/11 15 मास	12705
9	मै0 हरीश फूट कम्पनी बूथ न0 3 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	—यथोपरि—	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	—यथोपरि—	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
10	मै0 गणेश फूट कम्पनी बूथ न0 4 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	—यथोपरि—	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	—यथोपरि—	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
11	मै0 शिवा फूट कम्पनी बूथ न0 5 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	—यथोपरि—	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	—यथोपरि—	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
12	मै0 हरीकृष्ण फूट कम्पनी बूथ न0 6 जयसिंहपुर	700	10/04 से 9/07 36 मास	25200
	—यथोपरि—	770	10/07 से 9/10 36 मास	27720
	—यथोपरि—	847	10/10 से 11/11 14 मास	11858
कुल योग				₹984842

7 मार्केट यार्ड कांगड़ा में निर्मित छः कमरों के किराये की ₹394400/- की वसूली न करना:-

आडिट द्वारा अभिलेख की जांच करने के उपरान्त पाया गया कि मार्केट यार्ड कांगड़ा में दुकानों के उपर छः कमरों का निर्माण किया गया है जिसका किराया कृषि उपज मण्डी समिति की दिनांक 25.4.07 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 10 के अनुसार ₹1200/- मासिक की दर से माह 5/07 से निम्नविवरणानुसार वसूलना अपेक्षित है।

क्र०सं०	व्यापारी का नाम	मासिक किराया	अवधि	राशि	31.3.13 तक वसूली गई राशि	31.3.13 को वसूली योग्य राशि
1	मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी —यथोपरि—	1200 1320	5/07 से 4/10 36 मास 5/10 से 3/13 35 मास	43200 46200		
			कुल	89400	शून्य	89400
2	मैसर्ज कुजजीत फ्रूट एजेंसी —यथोपरि—	1200 1320	5/07 से 4/10 36 मास 5/10 से 3/13 35 मास	43200 46200		
			कुल	89400	28400	61000
3	मैसर्ज हिमाचल फ्रूट एजेंसी —यथोपरि—	1200 1320	5/07 से 4/10 36 मास 5/10 से 3/13 35 मास	43200 46200		
			कुल	89400	28400	61000
4	मैसर्ज मनोहर सिंह इन्द्रजीत सिंह	1200	5/07 से 4/10 36 मास	43200		

	—यथोपरि—	1320	5/10 से 3/13	46200			
			35 मास				
			कुल	89400	28400	61000	
5	मैसर्ज कृष्णा फ्रूट कम्पनी	1200	5/07 से 4/10	43200			
			36 मास				
	—यथोपरि—	1320	5/10 से 3/13	46200			
			35 मास				
			कुल	89400	28400	61000	
6	मैसर्ज कांगडा फ्रूट एजेंसी	1200	5/07 से 4/10	43200			
			36 मास				
	—यथोपरि—	1320	5/10 से 3/13	46200			
			35 मास				
			कुल	89400	28400	61000	
					योग	₹394400	

अतः कृषि उपज समिति कांगडा द्वारा उक्त फर्मों से बकाया किराये की वसूली दण्ड ब्याज सहित करने हेतु शीघ्र ठोस पग उठाए जाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 चैक पोस्ट पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की ₹93857/- की कम वसूली करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि विभिन्न यार्डों के निम्नलिखित आढतियों से उनके द्वारा चैक पोस्टों पर दर्ज आयातित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की ₹93857/- की कम वसूली की गई है। इस सन्दर्भ में निवासी अंकेक्षण योजना द्वारा अपनी विभिन्न अधियाचनाओं द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को समय-समय पर अवगत करवाया जा चुका है। अतः इस सन्दर्भ में आन्तरिक जांच करके इन देय वसूलियों को सम्बन्धित व्यापारियों से शीघ्र वसूलना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आडिट को अवगत करवाया जाए।

अवधि	फर्म का नाम	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
8/12 से 10/12	मैसर्ज पंकज फ्रूट कम्पनी, कांगडा	51660	32188	19472
11/12 से 12/12	मैसर्ज पंकज फ्रूट कम्पनी, कांगडा	39977	13594	26383
1/13	मैसर्ज पंकज फ्रूट कम्पनी, कांगडा	23459	9463	13996
2/13	मैसर्ज पंकज फ्रूट कम्पनी, कांगडा	26975	7518	19457
8/12 से 10/12	मैसर्ज गणेश फ्रूट कम्पनी, कांगडा	5535	3788	1747
12/2012	मैसर्ज गणेश फ्रूट कम्पनी, कांगडा	3128	315	2813
12/2012	मै0 साहिल फ्रूट कम्पनी, कांगडा	1165	—	1165
10/12 से 12/12	मै0 सचिन फ्रूट कम्पनी, कांगडा	5577	—	5577
2/13	मै0 हिमाचल फ्रूट एजेंसी कांगडा	10897	7650	3247
			योग	₹93857

9 मैसर्ज गौरव चिकन कार्नर पालमपुर से मार्केट फीस न वसूलने बारे:—

आडिट द्वारा अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा अवधि 5/12 से 7/12 की मार्केट फीस समिति निधि में जमा नहीं करवाई गई थी जिस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/12-46 दिनांक 28.8.2012 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया था परन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्तर पर जांच करके उक्त फर्म द्वारा अवधि 5/12 से 3/13 के दौरान किये गये व्यापार के आधार पर नियमानुसार मार्केट फीस की वसूली करके समिति निधि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 बिना सहमति पत्र के सामान हस्तान्तरित करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान माहवार आय की जांच करने पर यह पाया गया कि कुछ एक प्रकरणों में एक फर्म द्वारा अपने सामान की बिक्री न दर्शा कर अमुक सामान का दूसरी फर्म को हस्तांतरण दर्शाया गया था परन्तु दूसरी फर्म द्वारा सामान को प्राप्त करने बारे सहमति पत्र अभिलेख के साथ सलंगन नहीं था जिसके बिना बसूली गई मार्केट फीस की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में अधियाचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/12-58 दिनांक 29.11.2012 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया था परन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाएं।

11 मार्केट फीस के निर्धारण (असैसमेन्ट) करने बारे:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/13-04 दिनांक 26.10.2013 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा से वर्ष 2012-13 की असैसमेन्ट से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया जिस बारे सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा कार्यालय पत्र संख्या के0एम0सी0-2-10/07-Vol-II-1713 दिनांक 02.11.2013 द्वारा अवगत करवाया गया कि सम्बन्धित अंकेक्षण प्रभारी द्वारा अंकेक्षण कार्य किया जा चुका है तथा अब रिकार्ड उपलब्ध करवाना असंभव है। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट रूप में वर्णित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन विधेयक 2005 की धारा 61 के अनुसार असैसमेन्ट की जानी आवश्यक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि असैसमेन्ट के उपरान्त बकाया मार्केट फीस (यदि हो) की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

12 मैसर्ज सोनम फूट कम्पनी कांगडा के प्रोपराईटर/आबंटक बदलने बारे:-

आडिट द्वारा अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया कि वर्ष, 2007-08 में मैसर्ज सोनम फूट कम्पनी कांगडा की दुकान का प्रोपराईटर श्री बलराम कुमार दर्शाया गया था एवं इनके नाम ही लाईसैंस जारी किया गया था। तदोपरान्त वर्ष, 2008-09 में प्रोपराईटर का नाम श्रीमती मधुवाला कर दिया गया अर्थात् दुकान का आबंटन श्रीमती मधुवाला के नाम कर दिया गया। मण्डी समिति उप नियम 2007 की धारा 62 के अनुसार उक्त दुकान का कब्जा कृषि

उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा लेकर तथा प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला से पूर्व अनुमति प्राप्त करके पुनः उक्त दुकान का आबंटन खुली बोली द्वारा किया जाना अपेक्षित था परन्तु विपणन समिति कांगडा द्वारा नियमों को नजर अन्दाज करते हुए उक्त दुकान का आबंटन पुरानी किराये की दरों पर ही श्रीमती मधुवाला के नाम कर दिया जिस बारे न तो कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा की बैठक में स्वीकृति प्राप्त की गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से अनुमोदन करवाया गया। इस अनियमित आबंटन बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/13-82 दिनांक 29.1.2013 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया था परन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस तरह की अनियमितताओं में रोक लगाई जा सके व नियमानुसार आबंटन करके किराये के रूप में अधिक से अधिक आय अर्जित की जा सके।

13 मण्डी समिति कांगड़ा की दुकान न0-07 के आबंटक बदलने बारे:-

आडिट द्वारा अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया कि दिनांक 20.4.2012 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा उप सब्जी मण्डी कांगडा की दुकान संख्या 7 को श्री राजेश कुमार से श्री गोविन्द राम के नाम हस्तांतरित कर दिया गया। माह 6/2012 में श्री गोविन्द राम ने श्री अंकुश मल्होत्रा के साथ पार्टनरशीप डीड की तथा उसी माह में 15 दिनों भीतर ही पार्टनरशीप डीड रद्द कर दी। तदोपरान्त मण्डी समिति द्वारा माह 6/12 में उक्त दुकान को श्री अंकुश मल्होत्रा के नाम आवंटित कर दिया तथा नई फर्म मैसर्स त्रिशा फूट कम्पनी को लाईसैंस जारी कर दिया जिसका प्रोपराईटर श्री अंकुश मल्होत्रा है। मण्डी समिति उप नियम 2007 की धारा 62 के अनुसार उक्त दुकान का कब्जा कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा लेकर तथा प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला से पूर्व अनुमति प्राप्त करके पुनः उक्त दुकान का आवंटन खुली बोली द्वारा किया जाना अपेक्षित था परन्तु कृषि उपज समिति कांगडा द्वारा नियमों को नजर अन्दाज करते हुए उक्त दुकान का आबंटन पुरानी किराये की दर ₹101/- पर श्री अंकुश मल्होत्रा के नाम कर दिया जिस बारे न तो कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा की बैठक में स्वीकृति प्राप्त की गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से अनुमोदन करवाया गया। इस अनियमित आबंटन बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/12-50 दिनांक 18.9.2012 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा एवं पत्र संख्या RASKMC/13-70 दिनांक 8.8.13 द्वारा

प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला को भी अवगत करवाया गया था परन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस तरह की अनियमितताओं में रोक लगाई जा सके व नियमानुसार आबंटन करके ही किराये के रूप में अधिक से अधिक आय अर्जित की जा सके।

14 वास्तविक आबंटकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को दुकान का आबंटन करने बारे:—

आडिट द्वारा अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया कि दिनांक 20.4.2012 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 5 द्वारा विभिन्न उप सब्जी मण्डियों की निम्नलिखित दुकानों को वास्तविक आबंटकों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को आबंटित कर दिया गया। मण्डी समिति उप नियम 2007 की धारा 62(2) के अनुसार उक्त दुकानों का कब्जा कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा लेकर तथा प्रबन्ध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला से पूर्व अनुमति प्राप्त करके पुनः उक्त दुकानों का आबंटन खुली बोली द्वारा किया जाना अपेक्षित था परन्तु कृषि उपज समिति कांगडा द्वारा नियमों को नजर अन्दाज करते हुए उक्त दुकानों का आबंटन अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया जिस बारे में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से अनुमोदन नहीं करवाया गया। इस अनियमित आवंटन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/12-49 दिनांक 18.9.2012 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया था परन्तु अभी तक इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि इस तरह की अनियमितताओं में रोक लगाई जा सके।

क्र०सं०	मण्डी प्रांगण का नाम	दुकान न०	मूल आवंटक	जिन व्यक्तियों को दुकान का हस्तांतरण किया गया।
1	कांगडा	1	श्री सुदेश कुमार स्पुत्र श्री मदन लाल	श्री प्रेमजीत शर्मा स्पुत्र श्री मदन लाल
2	कांगडा	बूथ	श्री विश्वास कुमार स्पुत्र श्री किशन लाल	श्रीमती पूजा सोनी पत्नी श्री राकेश सोनी

3	जसूर	1	श्री देश राज स्पुत्र श्री माली राम गावं व डा0 रे	श्री विशाल महाजन स्पुत्र स्वण श्री सुदर्शन कुमार
4	जसूर	20	श्री नवनीत कुमार स्पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा स्पुत्र श्री पूर्ण चन्द
5	जसूर	21	श्री पवन पराशर स्पुत्र श्री अमर नाथ	श्री मुनीश गुप्ता स्पुत्र श्री रमेश कुमार
6	जसूर	23	श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री पूर्ण शर्मा	श्री लेख राज शर्मा स्पुत्र श्री ज्ञान चन्द
7	जसूर	24	श्री शविन्दर कुमार स्पुत्र श्री ओम प्रकाश	श्री सुनील कुमार-अजय कुमार स्पुत्र स्वत्र श्री अमरीक सिंह
8	नगरोटा बंगवा	2	श्री भोला सिंह स्पुत्र श्री टिका राम	श्री मदन लाल स्पुत्र श्री निहाल चन्द

15 दुकानों का किराया कम करने बारे:-

आडिट द्वारा अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया कि दिनांक 14.8.2012 की बैठक में दुकानों के किराये को कम करने हेतु प्रस्ताव संख्या 5(1) पारित किया गया जो कि मण्डी समिति उप नियम 2007 की धारा 62(2) के नियमों के विपरीत है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या आर0ए0एस0के0एम0सी0/12-50 दिनांक 18.9.2012 द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को अवगत करवाया गया जिस पर सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा कार्रवाई करते हुए नियमानुसार दुकानों के किराये को यथावत रखा गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएं न दोहराई जाएं।

16 किसान विश्रामगृह, ज्वालाजी, बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारे:-

आडिट द्वारा रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा उक्त स्थानों पर किसान विश्रामगृह का निर्माण किया गया है तथा विश्रामगृह के लिए पूर्ण सामान का भी क्रय किया गया है परन्तु किसान विश्रामगृह का संचालन नहीं किया जा रहा है जिससे

लाखों रुपये की लागत से निर्मित विश्रामगृह तथा खरीदे गये सामान का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अतः आडिट द्वारा सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त विश्रामगृहों को कार्यन्वयन हेतु उचित पग उठाये जाएं ताकि कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा को किराये के रूप में आय प्राप्त हो सके तथा भविष्य में इस प्रकार के निर्माण से पहले पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसान विश्रामगृहों का निर्माण करवाया जाए।

17 विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क के रूप में ₹245742/- की वसूली करना:-

निवासी अंकेक्षण योजना द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली के विभिन्न मामले अंकेक्षण अध्याचनाओं के माध्यम से सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा के ध्यान में लाये गये जिनमें से कुछ एक प्रकरणों पर सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा द्वारा कार्रवाई करते हुए निम्नविवरणानुसार ₹245742/-की देय मण्डी शुल्क की वसूलीयां सम्बन्धित फर्मों से करके समिति निधि में जमा करवा दी गई जिसकी जांच व पुष्टि अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएं न दोहराई जाएं।

अवधि	फर्म का नाम	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली	रसीद संख्या व दिनांक
2/2012	मैसर्ज ठाकुर फ्रूट कम्पनी, जयसिंहपुर	12680	6420	6260	50217 / 29.5.2012
5/2012	मैसर्ज गुरु फ्रूट कम्पनी, धर्मशाला	3491	1638	1853	50692 / 28.7.2012
6/2012	मैसर्ज बनवारी लाल नगरोटा बंगवा	14890	7887	7003	52060 / 12.10.12
6/2012	मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी नगरोटा बंगवा	13595	9672	3923	51841 / 17.7.2012 51878 / 6.8.2012
6/012	मैसर्ज ए0एस0 कुमार नगरोटा बंगवा	6501	5723	778	51917 / 30.8.2012
6/2012	मैसर्ज न्यू शिवा जी फ्रूट कम्पनी	12436	11798	638	51873 / 31.7.2012

6/2012	मैसर्ज कांगडा फूट एजेंसी कांगडा	7935	4675	3260	52993 / .8.2012
6/2012	मैसर्ज सोनी फूट कम्पनी, कांगडा	7784	7104	680	53424 / 9.8.2012
6/2012	मैसर्ज दाती होई दयाल फूट कम्पनी कांगडा	13362	5111	8251	54246 / 13.9.12 54389 / 11.10.12 54506 / 22.11.12 56206 / 24.12.12
6/2012	मैसर्ज सोनम फूट कम्पनी, कांगडा	2187	1258	929	52909 / 21.7.12
6/2012	मैसर्ज पंकज फूट कम्पनी कांगडा	20438	10255	10183	45689 / 31.8.12
6/2012	मैसर्ज शिव शक्ति फूट कम्पनी धर्मशाला	6078	4777	1301	50611 / 7.6.12
6/2012	मैसर्ज अशोक कुमार फूट	16917	6000	10917	48754 / 4.9.2012
7/2012	कम्पनी ज्वालामुखी				
6/2012	मैसर्ज राम फूट कम्पनी ज्वालामुखी	4077	1700	2377	48731 / 16.8.12
6/2012	मैसर्ज ज्वालाजी फूट कम्पनी ज्वालाजी	3578	2400	1178	48740 / 21.8.2012
7/2012	मैसर्ज गुरु फूट कम्पनी धर्मशाला	3355	2879	476	50742 / 1.9.2012
10/2012	मैसर्ज शिव शक्ति फूट कम्पनी धर्मशाला	8066	5581	2485	55652 / 10.12.2012
10/2012	मैसर्ज तेजपाल फूट कम्पनी, धर्मशाला	5382	3713	1669	55668 / 27.12.12
8/2012	मैसर्ज हिमाचल फूट	39322	32218	7104	56257 / 12.12.2012
10/2012	एजेंसी, कांगडा				
10/2012	मैसर्ज मनजीत कुमार	7240	6140	1100	53317 / 9.11.2012

	परमजीत सिंह, जसूर				55854 / 15.12.12
10 / 2012	मैसर्ज रविन्द्र कुमार, जसूर	14350	5664	8686	55859 / 15.12.12 55882 / 21.12.12 55965 / 5.1.2013 56468 / 1.2.2013 56499 / 8.2.2013
10 / 2012	मैसर्ज अशोक कुमार दविन्द्र कुमार, जसूर	7790	5677	2113	55849 / 15.12.12
10 / 2012	मैसर्ज अनिल कुमार फूट कम्पनी जसूर	6285	3700	2585	55897 / 21.12.12
10 / 2012	मैसर्ज पठानियां फूट कम्पनी जसूर	6093	4900	1193	55871 / 15.12.12
10 / 2012	मैसर्ज नितिका फूट कम्पनी जसूर	7704	6450	1254	55893 / 21.12.12
10 / 2012	मैसर्ज राणा फूट कम्पनी जसूर	4447	2426	2021	55961 / 5.01.13
10 / 2012	मैसर्ज आदित्य टिम्बर शाहपुर	8206	—	8206	57225 / 9.01.13
12 / 2012	मैसर्ज आर आर टिम्बर रानीताल	5666	—	5666	57254 / 19.01.13
4 / 2011	मैसर्ज लक्ष्मी फूट कम्पनी	22086	14598	7488	60317 / 15.05.13
9 / 2011	बैजनाथ				
12 / 2012	मैसर्ज रीत फूट कम्पनी	42535	29000	13535	58632 / 30.05.13
2 / 2013	बैजनाथ				
12 / 2012	मैसर्ज गगन फूट कम्पनी	63219	43741	19748	60437 / 30.05.13
2 / 2013	बैजनाथ				
12 / 2012	मैसर्ज दुर्गा फूट कम्पनी	52350	40093	12257	60476 / 1.06.13
2 / 2013	पालमपुर				

11/2012	मै0 गोविन्द फूट कम्पनी कांगडा	2433	—	2433	60166/5.06.13
12/2012	मै0 कांगडा फूट एजेंसी कांगडा	3283	2913	370	60127/24.05.13
12/2012	मै0 शंकर फूट कम्पनी कांगडा	2773	1887	886	60046/18.04.13
12/2012	मै0 सोनी फूट कम्पनी कांगडा	7545	5569	1976	61408/18.05.13
12/2012	मै0 संजय फूट कम्पनी कांगडा	3700	2005	1695	61409/18.05.13
12/2012	मै0 पूजा फूट कम्पनी कांगडा	5226	3897	1329	61410/18.05.13
7/2012	मैसर्ज गगन फूट कम्पनी, बैजनाथ	15308	12203	3105	60436/30.5.13
8/12 से	मैसर्ज दाती होई दयाल	22463	13567	8896	61411/18.5.13
10/12	कम्पनी, कांगडा				
8/12 से	मैसर्ज लेख राज रविन्द्र	5031	2818	2213	57776/22.6.13
10/12	सिंह, कांगडा				
12/2012	मै0 दाती होई दयाल फूट कम्पनी	7214	5155	2059	61411/18.5.13
12/2012	मै0 त्रिशा फूट कम्पनी	12380	5223	7157	68318/23.1.14
4/11 से	मै0 न्यू शिवा जी फूट	46683	32294	14389	58929/3.6.13
10/11	कम्पनी नगरोटा बंगवा				
1/13	मै0 न्यू शिवा जी फूट कम्पनी नगरोटा बंगवा	14699	9015	5684	58823/15.3.13
1/13	मै0 त्रिशा फूट कम्पनी	12658	4031	8627	68318/23.1.14
1/13	मै0 दाती होई दयाल कम्पनी, कांगडा	8281	5365	2916	61411/18.5.13

2/13 से मैसर्ज लक्ष्मी फूट	13764	8830	4934	58704/8.4.13
3/13 कम्पनी, बैजनाथ				
12/12 मैसर्ज महाजन फूट	38080	25023	13057	60480/4.6.13
से 2/13 कम्पनी, पालमपुर				
2/13 मै0 त्रिशा फूट कम्पनी	9203	5015	4188	68318/23.1.14
2/13 मै0 दाती होई दयाल	7971	5260	2711	61411/18.5.13
कम्पनी, कांगडा				

कुल योग

₹ 245742

18 अंकेक्षण के दौरान की गई कटौतियों बारे:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान अंकेक्षण हेतु गलत भुगतान प्रस्तुत किये जाने के कारण ₹1894/- की कटौती की गई। अतः कृषि उपज मण्डी समिति कांगडा को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में अन्तरिक जांच को और सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 लघु आपति विवरण:- यह अलग से जारी नहीं की गई।

20 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार एवं कडे निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0) एच(2) सी (15)(14)76/84 खण्ड-9 दिनांक, 13.5.2014, शिमला-9
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत: 1 सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति कांगडा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
- 2 अवर निदेशक, विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, शिमला-171002
- 3 प्रधान सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
- 4 अनुभाग अधिकारी, निवासी अंकेक्षण योजना कृषि उपज मण्डी समिति कांगडा, जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश

हस्ता/-

उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा जिला कांगडा
परिशिष्ट "क"

(पैरा 1 (घ) के सन्दर्भ में)

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

कृषि उपज मण्डी समिति, कांगडा के अवधि 4/85 से 3/12 तक के, 18 अंकेक्षण प्रतिवेदनों के कुल 80 पैरे लम्बित थे। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान लम्बित पैरों के निपटारे /सैटलमेंट हेतु मण्डी समिति, कांगडा एवम् अंकेक्षण द्वारा काफी प्रयास किये गये जिसके फलस्वरूप कुल लम्बित पैरों में से 22 पैरों को मौके पर सैटल किया गया। शेष 58 लम्बित पैरों में उठाई गई आपतियों के अनुसार मण्डी शुल्क के रूप में लाखों रूपयों की वसूलियां न करना, ठेकेदारों को किये गये अनियमित भुगतानों, दुकानों के किराये व अन्य अनेक मामलों में उजागर की गई वसूलियों की वसूली न करना शामिल है। अवधि 4/85 से 3/12 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से अंकेक्षण द्वारा उजागर करने के बावजूद ऐसी गम्भीर अनियमिताओं पर विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से कार्रवाई न करना बहुत बड़ी लापरवाही है जिसके फलस्वरूप मण्डी समिति को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ सकती है क्योंकि लम्बी समय अवधि बीत जाने के कारण इन वसूलियों को प्रभावित करना न केवल मुश्किल होगा अपितु यह कार्य असम्भव हो जाएगा। अतः वित्तीय अनियमिताओं एवम् वसूलियों से सम्बन्धित सभी पैरों के निपटारे हेतु प्रभावी ढंग से कार्रवाई करना अति आवश्यक है जिसके लिए तुरन्त कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना की सूचना समय-2 पर इस कार्यालय को भेजी जाये। शेष बचे आडिट पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/88

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | पैरा-9(XI) | निर्माण कार्यो से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिकार्ड अनिर्णीत
जैसे, माप पुस्तिका, प्रांकलन Completion
report आदि को जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत
न करने बारे। |
| 2 | पैरा-9(XII) | निर्माण कार्यो पर स्टील, सीमेन्ट, ईटों व रेत अनिर्णीत |

बजरी की खपत बारे।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90

- | | | | |
|---|------------|--|----------|
| 1 | पैरा-5(36) | गाडी संख्या एच.पी.एम. 5152 द्वारा 11.2.1989 से 11.4.1989 तक की गई निजि यात्रा (159 कि०मी०) की के प्रभार की वसूली न करना। | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-5(37) | निर्माण कार्यो के लिए किये गये भुगतानों से सम्बन्धित रिकार्ड को जांच हेतू प्रस्तुत न करने बारे। | अनिर्णीत |

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

- | | | | |
|---|------------|---|----------|
| 1 | पैरा-6(16) | निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को किये गये ₹83,803.00 के भुगतान के एवज में सम्बन्धित रिकार्ड को जांच हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना। | अनिर्णीत |
|---|------------|---|----------|

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

- | | | | |
|---|---------|--|----------|
| 1 | पैरा-14 | ठेकेदारों को उनके बिलों में गलत गणना करके किये गये अधिक भुगतान की राशि ₹1,22,397.00 की वसूली न करना। | अनिर्णीत |
|---|---------|--|----------|

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/96

- | | | | |
|---|--------------|--|----------|
| 1 | पैरा-5(V) | 31 मामलों में मण्डी शुल्क की वसूली न करना। | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-6(8)(ग) | न्यायालय के आदेशों के बावजूद श्री विनोद कुमार से मण्डी शुल्क के रूप में ₹30,000/- की वसूली न करना। | अनिर्णीत |

3	पैरा-6(XXV) (क) व (ख)	मण्डी यार्ड के निर्माण के लिये श्री केवल कृष्ण ठेकेदार को किये गये ₹20,000/- के भुगतान के सम्बन्ध में अनियमितताओं बारे।	अनिर्णीत
4	पैरा-6(XXVI) (क) व (ख)	सब्जी मण्डी के लिये बनाये गये लिंक रोड के कार्य के लिये किये गये भुगतान राशि ₹35424/- में अनियमितताओं बारे।	अनिर्णीत
5	पैरा-6 (XXVIII)	दुकानों की मुरम्मत के कार्य को श्री वी.पी. सिंह ठाकुर को कार्य आबंटित/आर्वाड करने के मामले में अनियमितताओं बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/99

1	पैरा-10(घ)	2115 ईटों के मूल्य की वसूली न करना	अनिर्णीत
2	पैरा-11	₹2,39,050.00 के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित रिकार्ड एवम् इन कार्यों की प्रशासनिक एवम् तकनीकी स्वीकृति की अंकेक्षण में जांच न करवाना।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा-12(क)(1 से 5)	एक ही आदमी की उसी अवधि के दौरान एक से ज्यादा मस्ट्रोलों पर हाजिरी लगाकर अनियमित भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा-14(क)	माप पुस्तिका (MB) संख्या 1937 के पृष्ठों को बीच में खाली रखने के सम्बन्ध में (पृष्ठ संख्या 46-50 व 77-78)	अनिर्णीत
3	पैरा-15(1 व 2)	₹1,47,057/- के निर्माण कार्य में उठाई गई गम्भीर आपतियों बारे। बांछित रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

- | | | | |
|---|---------|---|---|
| 1 | पैरा-15 | श्री पवन काजल ठेकेदार से बिक्री कर एवम् आयकर के रूप में ₹9914.00 की वसूली न करने बारे । | आंशिक (₹6998 की वसूली निर्णीत देख ली गई है) |
|---|---------|---|---|

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003

- | | | | |
|---|-----------|---|----------|
| 1 | पैरा-9(क) | श्री पवन काजल ठेकेदार से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर एवम् विक्रय कर के रूप में ₹15257.00 की वसूली न करना । | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-10 | ₹2,20,190.00 के निर्माण कार्यों की AE & ES (प्रशासनिक एवम् तकनीकी स्वीकृति बार) | अनिर्णीत |

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004

- | | | | |
|---|---------|---|----------|
| 1 | पैरा-10 | अनुबन्ध पर रखे गये कर्मचारियों की स्वीकृति बारे । | अनिर्णीत |
|---|---------|---|----------|

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005

- | | | | |
|---|---------|--|----------|
| 1 | पैरा-4 | मण्डी शुल्क के रूप में ₹3,86,828/- की कम वसूली करना । | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-10 | ₹6804/- के भुगतान की स्वीकृति एवम् एम.बी. व एम.ए.एस. में प्रविष्टियों बारे । | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा-11 | ₹13,975/- के भुगतान की स्वीकृति एवम् सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे । | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा-14 | ₹5,22,471/- के निर्माण कार्यों के Completion Certificate व कार्य सम्पूर्ण होने | अनिर्णीत |

के पश्चात् निर्मित भवन को Handover करने
बारे।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा-8	मण्डी शुल्क के रूप में ₹14601.00 की कम वसूली करना।	अनिर्णीत
2	पैरा-9	मण्डी शुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत
3	पैरा-13	कुल 98 व्यापारियों से मण्डी शुल्क की वसूली न करना।	अनिर्णीत
4	पैरा-14	मण्डी समिति, कांगडा द्वारा लाईसैंसों के नवीकरण में ढील बरतने बारे।	अनिर्णीत
5	पैरा-15(ग)	मण्डी शुल्क की वसूली बारे।	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा-5	मैसर्ज सागरिका डेयरी पालमपुर से दूध के आयात पर मण्डी शुल्क के रूप में ₹9926.00 की कम वसूली करने बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा-7	मै0 जितेन्द्र कुमार अजय कुमार शाहपुर से ₹6650.00 की वसूली की ली है लेकिन मै0 पवन काजल ठेकेदार से ₹37,258/- की वसूली शेष है जिसे तुरन्त करने के लिए आवश्यक पग उठाये जायें।	आंशिक निर्णीत
3	पैरा-11	कांगडा मण्डी यार्ड में लाईसैंस जारी करने में नियमों की अवहेलना करके एक से अधिक लाईसैंस जारी करना।	अनिर्णीत
4	पैरा-12	पुराने लाईसैंसों के नवीकरण में नियमों की अवहेलना करना।	अनिर्णीत
5	पैरा-13	कुल 47 व्यापारियों से उन्हें लाईसैंस जारी	अनिर्णीत

करने के फलस्वरूप वर्ष, 2006-07 के दौरान मण्डी शुल्क के रूप में कोई भी वसूली न करना।

- | | | | |
|---|---------------|---|----------|
| 6 | पैरा-14(क) | मै0 पंजाब हिमाचल फूट कम्पनी कन्दरोडी के मण्डी शुल्क की वसूली से सम्बन्धित रिकार्ड को अंकक्षण में प्रस्तुत न करना। | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा-14(घ)(ड) | लाईसैंस के रिकार्ड को प्रस्तुत न करना। | अनिर्णीत |

अंकक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

- | | | | |
|---|------------------|---|--|
| 1 | पैरा-11 (क) | मण्डी शुल्क के रूप में ₹116344/- न वसूलने बारे। | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-11 (ख) | मण्डी शुल्क के रूप में ₹73578/- न वसूलने बारे। | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा-12 | मण्डी शुल्क के रूप में ₹45539/- न वसूलने बारे। | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा-13 | मैसर्ज सरियाल टिम्बर से मण्डीशुल्क के रूप में ₹42728/- न वसूलने बारे। | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा-18 | मैसर्ज चैना राम सन्त राम से ₹23993/-न वसूलने बारे। | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा-20 (क, ख) | व्यापारियों का नियमानुसार लाईसैंस नवीकरण न करने बारे। | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा-21 (क से च) | रिकार्ड का आडिट में न प्रस्तुत करने बारे। | आंशिक पैरा 21 (क, ग, ड)
निर्णीत निर्णीत |

अंकक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

- | | | | |
|---|---------|---|---------------------------------|
| 1 | पैरा-10 | मैसर्ज सरियाल टिम्बर, पंचरुखी से ₹21277/-मण्डी शुल्क वसूलने बारे। | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-12 | मण्डी शुल्क के रूप में ₹4635/- की वसूली न करना। | निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है) |

3	पैरा-13	स्थाणा पौंग डैम मत्सय को0 सोसाईटी से मण्डी शुल्क वसूलने बारे।	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
4	पैरा-16	मण्डी शुल्क के रूप में ₹68894/- की वसूली न करने के परिणामस्वरूप पांच गुणा वसूली करना।	अनिर्णीत	
5	पैरा-17	मैसर्ज बलदेव राज एण्ड कम्पनी, बैजनाथ से बकाया मण्डी शुल्क ₹8392/- वसूलने बारे।	अनिर्णीत	
6	पैरा-22 (ख व घ)	आडिट में रिकार्ड न प्रस्तुत किया जाना।	आंशिक निर्णीत	(पैरा 22 (घ) निर्णीत)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा-5	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
2	पैरा.-10	विभिन्न टिम्बर व्यापारियों से ₹57403/- वसूलने बारे।	निर्णीत	(कार्रवाई देख ली गई है)
3	पैरा.-15	आलू के व्यापारियों से ₹158247/- कम मण्डी शुल्क वसूलने बारे।	अनिर्णीत	
4	पैरा.-16	उप सब्जी मण्डी जसूर में मैसर्ज लक्ष्मी फ्रूट कम्पनी व वैष्णो फ्रूट कम्पनी से ₹234739/- कम्पाउंड शुल्क न वसूलने बारे।	अनिर्णीत	
5	पैरा.-18	मैसर्ज तुली ऐग स्टोर कांगडा से बकाया मण्डी शुल्क ₹529030/- न वसूलने बारे।	अनिर्णीत	
6	पैरा.-21	मैसर्ज निखिल ट्रेडर्ज, दूध विक्रेता, पालमपुर से बकाया मण्डी शुल्क ₹55612/- वसूलने बारे।	अनिर्णीत	

7	पैरा-22	मैसर्ज आदर्श मिल्क, दूध विक्रेता, कांगडा से बकाया मण्डी शुल्क ₹79832/- वसूलने बारे।	अनिर्णीत
8	पैरा.-25	मैसर्ज वेरका मिल्क एजेंसी, पालमपुर से बकाया मण्डी शुल्क ₹60052/- वसूलने बारे।	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
9	पैरा-.26	मैसर्ज मल्होत्रा इन्टरप्राईजिज, दूध विक्रेता, धर्मशाला से बकाया मण्डी शुल्क ₹17012/-वसूलने बारे ।	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा-9	दुकान आबंटन व किराया एग्रीमेंट से सम्बन्धित रिकार्ड न उपलब्ध करवाने बारे	अनिर्णीत
2	पैरा-14	निलामी रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा-17	मै0 तुली ऐग स्टोर कांगडा से कम्पाउंड शुल्क के रूप में ₹32400/- की वसूली न करने बारे।	अनिर्णीत
4	पैरा-22	सब्जी मण्डी जसूर में मैसर्ज वैश्वो फूट कम्पनी दुकान न 18 से कम्पाउंड मण्डी शुल्क के रूप में ₹110132/-न वसूलने बारे।	अनिर्णीत
5	पैरा-31	किसान विश्रामगृह ज्वालाजी व बैजनाथ को प्रयोग में लाए जाने बारे	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा-6	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
---	--------	---	---------------------------------

2	पैरा-7	दुकानों के लम्बित किराये के रूप में ₹984842/- की वसूली करने बारे।	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है)
3	पैरा-8	मार्केट यार्ड कांगडा में निर्मित छः कमरों के किराये की ₹441360/- की वसूली न करना।	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है)
4	पैरा-9	चैक पोस्ट पर दर्ज आयशित मूल्य के आधार पर मण्डी शुल्क की ₹35877/- की राशि कम वसूलने बारे	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
5	पैरा-10	बिना पंजीकृत फर्म से चैक पोस्ट सुनेहत पर ₹11727/- कम्पाउंड शुल्क न वसूलने बारे।	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
6	पैरा-11	मैसर्ज गणेश फूट कम्पनी, सब्जी मण्डी कांगडा से ₹2593/- मण्डी शुल्क न वसूलने बारे।	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
7	पैरा-12	मैसर्ज लेख राज रविन्द्र सिंह, सब्जी मण्डी कांगडा से ₹4081/- मण्डी शुल्क न वसूलने बारे।	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
8	पैरा-13	मैसर्ज न्यू शिवाजी फूट कम्पनी, सब्जी मण्डी नगरोंटा बंगवा से ₹11219/- मण्डी शुल्क न वसूलने बारे	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
9	पैरा-14	मै विजय कुमार, सब्जी मण्डी पालमपुर से ₹902/- मण्डी शुल्क न वसूलने बारे।	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
10	पैरा-15	मैसर्ज रीत फूट कम्पनी, सब्जी मण्डी बैजनाथ से ₹23110/- मण्डी शुल्क न वसूलने बारे।	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
11	पैरा-16	मैसर्ज ठाकुर फूट कम्पनी, सब्जी मण्डी	निर्णीत (कार्रवाई देख ली

		जयसिंहपुर से ₹6260/- मण्डी शुल्क न वसूलने बारे।	गई है)
12	पैरा-17	मै0 गुरुनानक फूट कम्पनी कांगडा से सेब पर ₹526/- मण्डी शुल्क न वसूलने बारे।	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
13	पैरा-18	कार्योत्तर स्वीकृति बारे।	निर्णीत (कार्रवाई देख ली गई है)
14	पैरा-19	किसान विश्रामगृह, ज्वालाजी, बैजनाथ व धर्मशाला के कार्यन्वयन बारे।	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है)
15	पैरा-20 (क ख)	आडिट में रिकार्ड न प्रस्तुत किया जाना।	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	78
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	21
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 तक)	57